**Report on RTI Workshop (18 February 2025)**

A workshop on the **Right to Information (RTI)** Act was conducted on 18 February 2025 in online mode. This workshop was jointly organized by Government PG College, Berinag, and Government Degree College, Pati, Champawat. The session aimed to spread awareness about RTI and its role in ensuring transparency and accountability in governance.

The workshop was presided over by Professor B.M. Pandey principal of the government degree college Berinag. Mr. Sunil Kumar Pandey Principal, Government Degree College, Pati was the chief speaker. He delivered an insightful talk on RTI. He told the participants the RTI act passes on 2005 and emphasized the importance of access to information in a democracy and how RTI helps in holding public authorities accountable. Almost 25 principals from different colleges, participated in the workshop. The primary objective was to discuss the significant aspects of RTI, ensuring that educational institutions understand its proper implementation.

**Key Highlights of RTI Discussion**

Mr. Pandey provided a detailed explanation of the RTI Act, 2005, covering the following points:

**What is RTI?** – The Right to Information Act empowers citizens to request information from public authorities, promoting transparency and reducing corruption.

**Exemptions under RTI** – Some information is restricted under Section 24, including details that affect national security, foreign relations, and personal privacy.

**Right to Freedom of Speech and Expression** – He highlighted how freedom of speech and RTI are interconnected, enabling citizens to express themselves based on verified information.

**1. RTI in Colleges and Universities**

Public Information Officer (PIO) – Every government college and university has a PIO responsible for handling RTI requests related to admissions, faculty, budget, and administration.

**2. RTI at the State Level**

State Public Information Officer (SPIO) – Handles RTI queries at the state government department level.

**3. RTI at the National Level**

Central Public Information Officer (CPIO) – Appointed in every central government department and public sector unit to handle RTI applications.

**Conclusion**

The workshop provided valuable insights into the practical application of RTI, especially in the education sector. The discussion on freedom of speech and expression added depth to the session, reinforcing the importance of access to information in a democracy.

The session ended with an interactive Q&A, where participants raised queries about RTI procedures, challenges, and implementation in academic institutions. The workshop successfully achieved its goal of educating participants on RTI and encouraging its use for transparency and governance.

IQAC expressed their heartfelt gratitude to all participants, students, and faculty members for making this event a grand success.

**Images -**

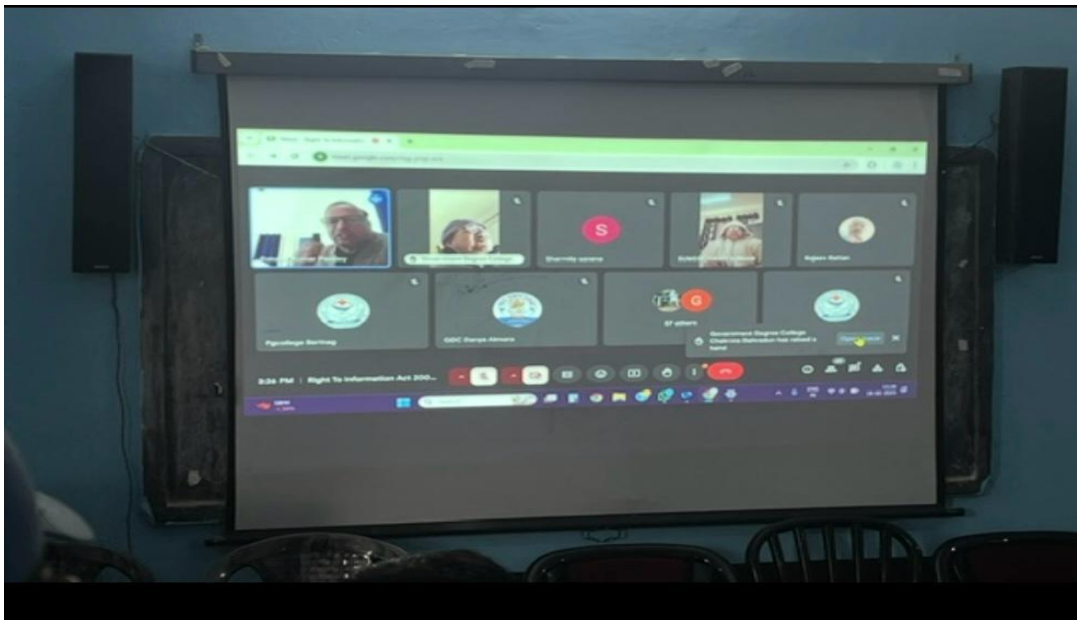

**News –** UTTAR UJALA 20.02.2025, Rudra Times , NHL Network 18.02.2025

berinag FEATURED General Latest News pithoragarh pp uttarakhand

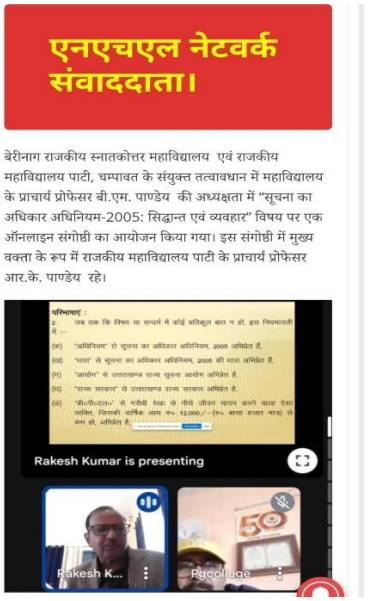

## सूचना का अधिकार अधिनियम-2005: सिद्धान्त एवं व्यवहार विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया।

February 18, 2025 एनएचएल नेटवर्क

🔊 Listen to this



**एनएचएल नेटवर्क संवाददाता।**

**एनएचएल नेटवर्क संवाददाता।**

बेरीनाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय पाटी, चम्पावत के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बी.एम. पाण्डेय की अध्यक्षता में "सूचना का अधिकार अधिनियम-2005: सिद्धान्त एवं व्यवहार" विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय महाविद्यालय पाटी के प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. पाण्डेय रहे।










संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रोफेसर आर. के. पाण्डेय ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के विभिन्न प्रावधानों पर गहनता से चर्चा कर प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया। कार्यक्रम के इसी क्रम में उन्होंने "द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन" पर भी विस्तार से चर्चा की साथ ही साथ सूचना के अधिकार अधिनियम में उल्लिखित धाराओं पर वृहद व्याख्यान दिया। संगोष्ठी में उत्तराखंड के लगभग 25 महाविद्यालयों के प्राचार्य, लोक सूचना अधिकारियों ने आभासी रूप से प्रतिभाग किया।प्रतिभागियों ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बंधित प्रश्न पूछकर अपने समस्याओं का समाधान भी किया। अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बी. एम. पाण्डेय ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य अन्य महाविद्यालयों / संस्थानों के लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के बारे में परिचर्चा कर उसकी बारीकियों को समझना है। उन्होंने कहा कि यह संगोष्ठी निश्चित ही हम सभी लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। कार्यक्रम के अंत में राजकीय महाविद्यालय पाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. डी. वी. सिंह ने कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य वक्ता समेत समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। संगोष्ठी का संचालन डॉ.लीलाधर मिश्र ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक उपस्थित रहे।

# सूचना का अधिकार पर ऑनलाइन संगोष्ठी

**बेरीनाग।** राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग एवं राजकीय महाविद्यालय पाटी चम्पावत के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. बीएम पाण्डेय की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सिद्धान्त एवं व्यवहार विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय महाविद्यालय पाटी के प्राचार्य प्रो. आरके पाण्डेय रहे। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रो. आरके पाण्डेय ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के विभिन्न प्रावधानों पर गहनता से चर्चा कर प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया। कार्यक्रम के इसी क्रम में उन्होंने द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ सूचना के अधिकार अधिनियम में उल्लिखित धाराओं पर वृहद व्याख्यान दिया। संगोष्ठी में उत्तराखंड के लगभग 25 महाविद्यालयों के प्राचार्य लोक सूचना अधिकारियों ने आभासी रूप से प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बंधित प्रश्न पूछकर अपने समस्याओं का समाधान भी किया। अध्यक्षीय सम्बोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य बीएम पाण्डेय ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों के लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के बारे में परिचर्चा कर उसकी बारीकियों को समझना है। इस मौके पर पाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. डीवी सिंह, डा.लीलाधर मिश्रा आदि मौजूद रहे।

# बेरीनाग, पाटी महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सूचना का अधिकार विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन

रूद्र टाइम्स

बेरीनाग ( पिथौरागढ़) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग एवं राजकीय महाविद्यालय पाटी (चम्पावत) के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बी.एम. पाण्डेय की अध्यक्षता में ष्सूचना का अधिकार अधिनियम–2005रू सिद्धान्त एवं व्यवहारष विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय महाविद्यालय पाटी के प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. पाण्डेय रहे। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रोफेसर आर. के. पाण्डेय ने सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के विभिन्न



प्रावधानों पर गहनता से चर्चा कर प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया। कार्यक्रम के इसी क्रम में उन्होंने द राइट टू फरीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी विस्तार से चर्चा की साथ ही साथ सूचना के अधिकार अधिनियम में उल्लिखित धाराओं पर वृहद व्याख्यान दिया। संगोष्ठी में उत्तराखंड के लगभग 25 महाविद्यालयों के प्राचार्यॅ लोक सूचना अधिकारियों ने आभासी रूप से प्रतिभाग किया।प्रतिभागियों ने सूचना अधिकार अधिनियम–2005 से सम्बंधित प्रश्न पूछकर अपने समस्याओं का समाधान भी किया। अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बी. एम. पाण्डेय जी ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य अन्य महाविद्यालयों ॅ संस्थानों के लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के बारे में परिचर्चा कर उसकी बारीकियों को समझना है। उन्होंने कहा कि यह संगोष्ठी निश्चित ही हम सभी लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। कार्यक्रम के अंत में राजकीय महाविद्यालय पाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. डी. वी. सिंह ने कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य वक्ता समेत समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। संगोष्ठी का संचालन डॉ.लीलाधर मिश्र ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक उपस्थित रहे।